इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमावली (वार्ड फेसिलिटेटर्स / ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स के लिए)

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना

दो शब्द ..

JICA वित पोषित ''हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना'' के अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया में कुशल और प्रभावी सामुदायिक भागीदारी के लिए, प्रत्येक ग्राम वन विकास समिति (वीएफडीएस) और जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) की उपसमितियों में एक–एक पुरुष और एक–एक महिला वार्ड सुविधाकर्ता (फेसिलिटेट) तैनात होगा। वार्ड फेसिलिटेटर, आजीविका के लिए वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों को वीएफडीएस और समूहों सहित आम हित समूहों (सीआईजी) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में सहायता प्रदान करेंगे। वार्ड फेसिलिटेटर्स को परियोजना और समुदाय के बीच मध्यस्थ (इंटरफेस) के रूप में अभिसरण (कन्वर्जेंस) और कार्य की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता होगी। वार्ड फेसिलिटेटर, फील्ड टेक्निकल यूनिट (FTU) की निकट देखरेख में अंशकालिक आधार पर काम करेंगे और वे तैनाती के बाद आवश्यक क्षमताओं से लैस होंगे। वार्ड फेसिलिटेटर्स के कार्यकलापों का विवरण इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमावली में दिया गया है।

इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमावली का समग्र उद्देश्य एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में काम करना है, जो परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों में सामुदायिक विकास गतिविधियों के कुशल और प्रभावी नियोजन और कार्यान्वयन के लिए एफटीयू समन्वयकों, डीएमयू/एफटीयू स्टाफ और विषय विशेषज्ञों की क्षमता को बढ़ा सकता है।

इस मैनुअल का उद्देश्य प्रशिक्षकों और व्यवसायियों, समुदायों, समूहों और अन्य हितधारकों को प्रासंगिक ज्ञान और कौशल से लैस करना है, जो सामुदायिक विकास गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए आवश्यक है।
मुझे यकीन है कि यह मैनुअल परियोजना में व्यापक और सतत् कौशल विकास के अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगा।

नागेश कुमार गुलेरिया, आई.एफ.एस

सी.ई.ओ. एवं मुख्य परियोजना निदेशक

विषय सूची

संकेताक्षर (एब्रीवेशंस) सूची
अध्याय –1: पृष्ठभूमि और संदर्भ
अध्याय –2: परियोजना की रूपरेखा का परिचय
अध्याय –3: परियोजना घटकों का संक्षिप्त विवरण
3.1. सतत् वन प्रबंधन
3.1.1. मिट्टी और पानी / नमी संरक्षण
3.1.2. मध्यम घने जंगलों के घनत्व में सुधार
3.1.3. वनीकरण / खुले / झाड़ीनुमा वनों का सुधार
3.1.4. आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित वन क्षेत्रों का पुनर्वास
3.1.5. चरागाह / घासनी सुधार
3.1.6. आग से वनों की सुरक्षा
3.1.7. वन क्षेत्रों के बाहर वानिकी हस्तक्षेप
3.2. जैव विविधता संरक्षण
3.2.1. वैज्ञानिक जैव विविधता प्रबंधन
3.2.2. समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन
3.3. आजीविका सुधार सहायता
3.3.1. सामुदायिक विकास
3.3.2. आजीविका सुधार
अध्याय –4: वार्ड फेसिलिटेटर्स की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां
अध्याय –5: ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स की विशिष्ट भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां
अध्याय –6: वार्ड फेसिलिटेटर्स / ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स का क्षमता निर्माण

संकेताक्षर सूची

एएनआर	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन
बीएमसी	जैव विविधता प्रबंधन समिति
सीआईजी	समान रुचि समूह
डीएमयू	मंडलीय प्रबंधन इकाई
एफईएमपी	वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना
एफएमएस	वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
एफटीयू	फील्ड तकनीकी इकाई
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपी	ग्राम पंचायत
एचपीएफडी	हिमाचल प्रदेश वन विभाग
जेएफएम	संयुक्त वन प्रबंधन
जेआईसीए	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
एम एंड ई	निगरानी और मूल्यांकन
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनटीएफपी	गैर काष्ठ वन उत्पाद
पीएफएम	सहभागी वन प्रबंधन
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
पीआरए	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
एसएफएम	सतत् वन प्रबंधन
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएमएस	विषय विशेषज्ञ
एसडब्ल्यूसी	मृदा जल संरक्षण
टीएनए	प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
वीएफडीएस	ग्राम वन विकास सोसाइटी

अध्याय –1
पृष्ठभूमि और संदर्भ

परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया में कुशल और प्रभावी सामुदायिक भागीदारी के लिए, प्रत्येक ग्राम वन विकास समिति (वीएफडीएस) और जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) की उपसमितियों में एक–एक पुरुष और एक–एक महिला वार्ड सुविधाकर्ता (फेसिलिटेट) तैनात होगा। वार्ड फेसिलिटेटर, आजीविका के लिए वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों को वीएफडीएस और समूहों सहित आम हित समूहों (सीआईजी) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में सहायता प्रदान करेंगे। वार्ड फेसिलिटेटर्स को परियोजना और समुदाय के बीच मध्यस्थ (इंटरफेस) के रूप में अभिसरण (कन्वर्जेस) और कार्य की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता होगी। वार्ड फेसिलिटेटर, फील्ड टेक्निकल यूनिट (एफटीयू) की निकट देखरेख में अंशकालिक आधार पर काम करेंगे और वे तैनाती के बाद आवश्यक क्षमताओं से लैस होंगे। वार्ड फेसिलिटेटर्स के विशिष्ट कार्यकलापों में निम्न कार्य शामिल होंगे;

- सामुदायिक गतिशीलता और सामुदायिक संस्थानों के समूह गठन की सुविधा प्रदान करना
- वीएफडीएस/बीएमसी सदस्यों और सीआईजी/एसएचजी के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने में परियोजना की सहायता करना
- हितधारकों के साथ समन्वय की सुविधा प्रदान करना
- आईजीए गतिविधियों के लिए वित्तीय या अन्य संबंधित संस्थानों के साथ संबंधों को सुविधाजनक बनाने में सहायता प्रदान करना
- वीएफडीएस/बीएमसी सदस्यों और सीआईजी/एसएचजी को बैठकें आयोजित करने, रिकॉर्ड तैयार करने, योजना बनाने और परियोजना हस्तक्षेप कार्यान्वयन और रिकॉर्ड रखने के लिए मार्गदर्शन करना
- परियोजना प्रबंधन द्वारा बताए गए अन्य कार्यों का निष्पादन

वार्ड फेसिलिटेटर्स को संबंधित वीएफडीएस/बीएमसी उप–समिति/वार्ड सभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित और चयनित किया जाएगा। उसके बाद वीएफडीएस फैसला करेगी कि चौथे वर्ष से उनकी सेवाएं आगे भी जारी रखी जाएंगी या नहीं। वार्ड फेसिलिटेटर्स का मानदेय क्या होगा, यह भी संबंधित वीएफडीएस तय करेगी। उनका मानदेय वीएफडीएस ही वहन करेगी।

वार्ड फेसिलिटेटर्स को उनके कार्यकाल के दौरान आवश्यक क्षमता से लैस करने के लिए कई क्षमता निर्माण इनपुट प्रदान किए जाएंगे, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करने में मदद मिल सके। विषय विशेषज्ञ (एसएमएस) और एफटीयू समन्वयक, जो 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' (टीओटी) कार्यक्रम कर चुके हैं, वार्ड फेसिलिटेटर्स को निम्न रूप में क्षमता निर्माण इनपुट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे;

- पहचान किए गए विषयों पर औपचारिक प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यक्रम
- फील्ड में नौकरी के साथ प्रशिक्षण

- साथ खड़े होकर सहयोग
- चिन्हित स्थानों पर एक्सपोजर विजिट

वार्ड फेसिलिटेटर्स के प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और प्रकार तय किए जाएंगे। फिर भी, शुरुआती तौर पर वार्ड फेसिलिटेटर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान निम्न तालिका में दी गई है।

तालिकाः वार्ड फेसिलिटेटर्स के लिए चिन्हित शुरुआती प्रशिक्षण

क्रमांक	विषय	रूपरेखा
1.	वार्ड फेसिलिटेटर की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां	• परियोजना की रूपरेखा • स्थायी वन प्रबंधन/जैव विविधता संरक्षण को समझना • वार्ड फेसिलिटेटर्स की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां • रिकॉर्ड और बहीखाता रख–रखाव
2.	जेंडर	• जेंडर संवेदनशील हस्तक्षेप
3.	एफईएमपी और एलआईपी	• योजना प्रक्रिया • वार्ड फेसिलिटेटर्स की भूमिका • सामुदायिक विकास और आजीविका गतिविधियों की पहचान करना
4.	सीआईजी/एसएचजी के लिए आजीविका हस्तक्षेप	• एसएचजी, सीआईजी गठन – प्रयोजन, सदस्यता, प्रक्रिया, नियम • बचतः प्रेरणा, सुविधा, मिलकर साथ चलना • एसएचजी बैठक, बहीखाता रख–रखाव, पंचसूत्र और निधि/कोष प्रबंधन • बैंक लिंकेजः उद्देश्य, प्रक्रियाएं, भुगतान • विभिन्न आजीविका विकल्प • व्यावसायिक नियोजन • बाजार / मूल्य श्रृंखला • क्लस्टर आधारित उद्यम विकास

अध्याय –2

परियोजना की रूपरेखा का परिचय

परियोजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से जापान इंटरनेशनल सहयोग एजेंसी (जाईका) से "हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना" के क्रियान्वयन के लिए ऋण प्राप्त किया है।

परियोजना का समग्र लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश राज्य में सतत् सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए वन क्षेत्रों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, इस परियोजना का समग्र लक्ष्य है।

परियोजना का ध्येय

परियोजना हस्तक्षेपों के माध्यम से परियोजना क्षेत्रों में वनों के पारिस्थितिकी तंत्रों का निरंतर व टिकाऊ प्रबंधन और विस्तार इसका ध्येय है।

परियोजना आउटपुटः

आउटपुट 1: सतत् वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन
आउटपुट 2: जैव विविधता संरक्षण
आउटपुट 3: आजीविका सुधार सहायता
आउटपुट 4: संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाना

अपेक्षित परिणाम

परियोजना के उद्देश्य को विभिन्न परिणामों के माध्यम से प्राप्त करने की योजना है। इसमें ये परिणाम शामिल हैं:–

- बहु–परत वन क्षेत्र में वृद्धि
- एक ही प्रकार (मोनोकल्चर) के वन क्षेत्र में कमी
- वन क्षेत्रों में आग की घटनाओं और पशुओं के चरने में कमी
- गुणवत्ता और मात्रा के मामले में बेहतर चरागाह/घासनियां
- वीएफडीएस/बीएमसी के माध्यम से सक्रिय सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि
- वीएफडीएस/बीएमसी के माध्यम से निर्णय लेने और कार्रवाई में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी
- मानव–वन्यजीव संघर्ष घटनाओं में और इन्हें लेकर क्षतिपूर्ति में कमी
- अवैध शिकार की घटनाओं में कमी
- घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा/रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करने वाले घरों में वृद्धि
- पशुओं के लिए स्टाल फीडिंग करने वाले परिवारों में वृद्धि
- परिवारों की आजीविका और आय में वृद्धि

- ईंधन लकड़ी और चारा इकट्ठा करने के लिए महिलाओं द्वारा खर्च किए गए समय में कमी
- बढ़े हुए क्षेत्र और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) तक पहुंच
- लक्ष्य समुदाय की जानकारी/ज्ञान और कौशल में वृद्धि
- वन संसाधनों का सतत् उपयोग करने के लिए नियमों का पालन करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या में वृद्धि

परियोजना की अवधिः

– 10 वर्ष (2018 से शुरू होकर 2028 में समाप्त होगी)

परियोजना के तीन चरण हैं;

- प्रारंभिक चरण (अप्रैल 2018 से मार्च 2020)
- कार्यान्वयन चरण (अप्रैल 2020 से मार्च 2026)
- अंतिम (फेजआउट) चरण (अप्रैल 2026 से मार्च 2028)

परियोजना क्षेत्रः

- टेरिटोरियल मंडलों (डिवीजन) की कुल संख्यारू 18
- टेरिटोरियल रेंज की कुल संख्यारू 61 रेंज
- संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव रेंज की कुल संख्यारू 4 संरक्षित क्षेत्र और 2 वन्यजीव रेंज
- कवर किए जाने वाली वीएफडीएस की संख्यारू 400
- कवर की जाने वाली बीएमसी की संख्यारू 20 (60 उप–समितियां)

परियोजना के घटकः

घटक 1: सतत् वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन

घटक 2: जैव विविधता संरक्षण

घटक 3: आजीविका सुधार सहायता

घटक 4: संस्थागत क्षमता को मजबूत बनान

अध्याय –3
परियोजना घटकों का संक्षिप्त विवरण

3.1. सतत् वन प्रबंधन

इस परियोजना का उद्देश्य मृदाजल/नमी संरक्षण गतिविधियों के साथ–साथ सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर), पौधारोपण, चरागाह/घासनी उपचार के माध्यम से वन और चरागाह भूमि की उत्पादकता बढ़ाना और वनों पर सामुदायिक निर्भरता में कमी करना है। नीचे व अगले पन्नों पर इसकी चर्चा की गई है।

3.1.1. मिट्टी और पानी/नमी संरक्षण

परियोजना के तहत मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) या मृदा जल संरक्षण (एसडब्ल्यूसी) कार्य का उद्देश्य उपचार क्षेत्रों और उनके आस–पास के चरागाहों समेत वन क्षेत्रों की खराब हो चुकी भूमि, मिट्टी, पानी व मिट्टी में नमी की कमी को सुधारना है। ऐसा इस प्रकार होगाः–

- भू–क्षरण को कम करके और मृदा बहाली/संरक्षण को बढ़ाकर
- अपवाह (रनऑफ) नुकसान को कम करके और जल प्रतिधारण (रिटेंशन)/संरक्षण में वृद्धि करके
- मिट्टी की बढ़ती जल/नमी धारण क्षमता को बढ़ाकर

मिट्टी और पानी/नमी के लिए प्रमुख हस्तक्षेप – इन–सीटू (साइट पर) और एक्स–सीटू (ऑफ साइट) संरक्षण, जो सतत् वन प्रबंधन (एसएफएम) के लिए प्रारंभिक अध्ययन द्वारा अनुशंसित (रिकोमेंडेड) हैं, इस प्रकार हैं;

तालिकाः सतत् वन प्रबंधन के लिए मृदा जल संरक्षण कार्य/उपाय

पीएफएम मोड				
श्रेणी		**स्थान**	**उपाय**	**इन/एक्स सीटू**
मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय	1. बायो–इंजीनियरिंग उपाय	ढलान	कंटूर वाटलिंग (लाइव हैज, जो ट्रेंच के साथ बनी है, खाई के किनारे, किनारों पर पौधारोपण),	इन–सीटू
		छोटी धारा या गली	वनस्पति संरक्षण बाड़ (वेजिटेटिड पेलिसेड वॉल)	दोनों इन/एक्स–सीटू
		छोटी धारा	लाइव चेक डैम ब्रश वुड चौक डैम	
	2. यांत्रिक उपाय	छोटी धारा	साधारण पत्थर के चेक डैम	एक्स सीटू
		सूखी पहाड़ी	चिनाई तालाब (मेसनरी पॉड)	

इसके साथ–साथ, मिट्टी और पानी/नमी संरक्षण के ये अन्य उपाय भी हैं, जो परियोजना में उपयोगी हो सकते हैं;

- कंटूर बांध (ड्राई स्टोन)
- कंटूर/कंपित खाई (स्टैगर्ड ट्रेंच)
- नाली (गली) नियंत्रण संरचनाएं (श्रृंखला में पत्थर के चेक डैम)
- उपचार क्षेत्र के भीतर/आस–पास छोटी जल संचयन संरचना (वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर)
- साइट की स्थितियों के लिए प्रासंगिक अन्य उपाय

3.1.2. मध्यम घने वनों का सुधार/घनत्व बढ़ाना

मध्यम सघन वनों के सुधार/उनकी सघनता और बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर) विधि, अंतराल रोपण (गैप प्लांटिंग)/ या हिस्सों में बिजाई (पैच सोइंग) के साथ क्रियान्वित की जाएगी। रोपण के बाद चौथे वर्ष तक एएनआर संचालन में इन–सीटू एसडब्ल्यूसी कार्य और रख–रखाव शामिल रहेंगे। परियोजना के तहत किए जाने वाले वानिकी संबंधी उपचार/संचालन को मोटे तौर पर एएनआर और ब्लॉक वृक्षारोपण में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है।

तालिकाः परियोजना में वानिकी संचालन का समग्र विवरण

उपचार का प्रकार	विवरण
सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन (एएनआर)	– खराब (डीग्रेडेड) वनों में उपलब्ध प्राकृतिक पुनर्जनन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, जहां रूट स्टॉक्स अभी भी उपलब्ध हैं। – आपस में उलझी हुई शाखाओं को अलग–अलग करने, ऊंचे तनों व बेलों को हटाने और खाली स्थानों पर पौधे लगाने जैसे उपचार शामिल करें। – विशिष्ट व्यवहार्यता के साथ–साथ उद्देश्यों और लक्ष्यों के आधार पर अंतराल पौधारोपण और टुकड़ों में बिजाई (गैप प्लांटिंग और पैच सोइंग) को शुरू किया जाना चाहिए।
ब्लॉक प्लांटेशन	– विशिष्ट लकड़ी/एनटीएफपी उत्पादन और/या मिट्टी व जल संरक्षण और अन्य उद्देश्यों के लिए वनस्पति कवर बनाए रखना है। – कुछ तय घनत्व पर ब्लॉकों में अंकुरित पौधारोपण (सीडलिंग्स)

सहभागी वन प्रबंधन–विधि (पीएफएम–मोड) के तहत संचालन और उपचार पर इन बिंदुओं को लेकर जोर होगा;

- माइक्रो प्लान में पहचान के अनुसार स्थानों (साइट्स) का चयन
- वीएफडीएस के तहत एसएचजी/सीआईजी के लिए भूमिका का चयन

- मांग संचालित उपचारों और प्रजातियों का चयन (प्राकृतिक/भौगोलिक उपयुक्तता के आधार पर चयन के अलावा)
- ईंधन व चारे का उत्पादन और एनटीएफपी (औषधीय पौधों और बांस सहित) उत्पादन। इन्हें प्राथमिकता उपचार और व्यवहार उद्देश्यों के रूप में माना जाता है।
- रेंज/एफटीयू कर्मचारियों से तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थान विशिष्ट (साइट स्पेसेफिक) योजना
- हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कार्यों में निर्धारित संबंधित प्रचालनों के साथ लागत मानदंड और व्यवहार इस परियोजना में भी लागू होंगे
- वीएफडीएस एक समझौते के आधार पर कार्य को अमलीजामा पहनाएगी
- पीएफएम उपचार के लिए अतिरिक्त गतिविधियों और लागत को आवश्यकता के आधार पर परियोजना द्वारा कवर किया जाएगा
- पौधारोपण/एएनआर की स्थापना और रख–रखाव के लिए आवश्यक लागत का भुगतान संबंधित पीएफएम संस्थानों (वीएफडीएस, एसएचजी/सीआईजी) को किया जाएगा

एएनआर संचालन की योजना और कार्यान्वयन

– उन जगहों पर भी प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां रूटस्टॉक उपलब्ध है।
– पीएफएम संस्थानों की इच्छाओं और स्थान की स्थिति के आधार पर रोपण घनत्व, लक्ष्य प्रजातियों और संचालन का निर्णय लिया जाएगा।
– अंतराल (गैप्स) और खुले क्षेत्रों में, एनटीएफपी (झाड़ीदार पौधे, जड़ी–बूटी, घास की प्रजातियां), ईंधन, चारा (लकड़ी की प्रजातियां और घास दोनों) और औषधीय पौधों की अंतर–रोपण (इंटर–प्लांटिंग) विधि, पीएफएम संस्थानों की इच्छाओं और संबंधित साइट की स्थिति के आधार पर अपनाई जाएगी।
– घास के उत्पादन को न केवल चारा उत्पादन के लिए, बल्कि वन तल को स्थिर करने के लिए इंटर–क्रॉपिंग के रूप में पेश किया जाएगा।
– यदि पीएफएम संस्थानों के पास अपने पीएफएम क्षेत्रों के भीतर बांस केंद्रित क्षेत्र हैं या बांस के उत्पादन की मांग है, तो सैद्धांतिक रूप से, वन विभाग द्वारा बांस प्रवर्तन संचालन/पौधारोपण के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड और व्यवहार परियोजना के तहत भी समान रूप से लागू किए जाएंगे।

3.1.3 वनीकरण/ खुले/झाड़ीनुमा वनों का सुधार

मुख्य रूप से ब्लॉक पौधारोपण क्षेत्र, वनीकरण/खुले/झाड़ीनुमा वन सुधार के लिए स्थापित किए जाएंगे, लेकिन चोटी (हायर क्राउन) घनत्व वाले खुले वन क्षेत्रों के लिए, एएनआर के साथ अंतराल रोपण/टुकड़ों में बिजाई को भी लागू किया जाएगा। रोपण के बाद चौथे वर्ष तक ब्लॉक प्लांटेशन और एएनआर संचालन में इन–सीटू एसडब्ल्यूसी कार्य और रख–रखाव भी शामिल हैं। ब्लॉक पौधारोपण के प्रमुख उद्देश्यों में निम्न शामिल हैं;

– ईंधन लकड़ी और चारा पौधारोपण
– एनटीएफपी, औषधीय पौधे और बांस विकास

– विशेष रुचि / अनुकूल / उपयुक्त प्रजाति विकास

ब्लॉक पौधारोपण संचालन की योजना और कार्यान्वयन

– रोपण घनत्व, लक्ष्य प्रजातियों और संचालन को साइट की स्थितियों और वीएफडीएस की इच्छाओं के आधार पर तय किया जाएगा।

– यदि आवश्यक हो, तो रोपण की गहनता को वन विभाग प्लांटेशन नॉर्म– 2017 के तहत तय पैमाने से कम किया जा सकता है। यदि संबंधित वीएफडीएस की इच्छा हो, तो ऐसा करने पर घास, झाड़ीनुमा पौधों और अन्य एनटीएफपी प्रजातियों के लिए और ज़्यादा स्थान उपलब्ध हो सकेंगे।

– यदि आवश्यक हो, तो चारे का उत्पादन, चारे के उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि इंटर क्रापिंग के रूप में वन तल को स्थिर करने के लिए भी किया जाएगा।

– यदि वीएफडीएस की बांस उत्पादन की मांग है, तो सिद्धांत रूप में, वन विभाग द्वारा तय बांस प्रवर्तन संचालन (कल्चरल ऑपरेशन)/पौधारोपण के लिए समान मानदंड और व्यवहार लागू किए जाएंगे।

3.1.4. आक्रामक (इन्वेसिव) प्रजातियों से प्रभावित वन क्षेत्रों का पुनर्वास

जिन वार्डों में पौधारोपण गतिविधियां प्रदर्शन प्रयोजन (डेमोस्ट्रेशन पर्पस) के लिए छोटे स्तर/संख्या पर संचालित की जाती हैं, वहां फुल लकड़ी (लेंटाना) उखाड़ने का कार्य किया जा सकता है। परियोजना के तहत फुल लकड़ी उखाड़ने से संबंधित प्रस्तावित प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं:–

– फुल लकड़ी (लेंटाना) हटाने, छायादार वृक्षों के लिए लंबे पौधों का रोपण और अन्य चल रही गतिविधियों के लिए चयनित वीएफडीएस सदस्यों को पूर्व प्रशिक्षण (प्रदर्शन सहित)

– उखाड़ना/चल रहा कार्य

– छांव (शेड) कवर बनाने के लिए लंबे पौधों का रोपण/चल रहा कार्य

– रिफ्रेशर ट्रेनिंग के साथ–साथ अपनाई गई कार्य प्रणालियों के लिए विस्तार कार्यशालाएं

3.1.5. चरागाह/घासनी सुधार

चरागाहों/घासनियों के सुधार में ये दो हस्तक्षेप शामिल हैं: 1. चरागाह/घासनी में कटाई/रोपण और 2. परती चरागाह/घासनी की स्थापना। चरागाह/घासनी में कटाई/रोपण के लिए, प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार निम्न प्रकार के उपचारों पर विचार किया जाएगा:–

शुष्क ऊंचे पहाड़ों (एल्पाइन) के चरागाह:

– प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) विधि (घास के बीज)

– पैच/स्ट्रिप प्रणालियां (मैथड्स) (गुच्छानुमा/पुंछल घास या घास के बीज और फलीदार बीज)

अन्य घासनियां:

- वन संवर्धन चारा विकास विधियां (चारा पेड़, गुच्छानुमा/पुंछल घास या घास के बीज और फलीदार बीज)
- पैच/स्ट्रिप मेथड्स (चारा पेड़, गुच्छानुमा/पुंछल घास या घास के बीज और फलीदार बीज)

इसके अलावा, मिट्टी और पानी/नमी संरक्षण के उपाय साइट की आवश्यकता के अनुसार लागू होंगे।

3.1.6. आग से वनों की सुरक्षा

फायर प्रोटेक्शन पेट्रोलिंग (गश्त) की व्यवस्था

- वीएफडीएस से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पीएफएम उपचार क्षेत्रों और आसपास के वन क्षेत्रों में, विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान, फायर प्रोटेक्शन पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें।
- परियोजना, आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करके फायर पेट्रोल प्रबंधन को लेकर सुसज्जित होने के लिए पीएफएम संस्थानों का सहयोग करती है।
- फायर पेट्रोलिंग में संबंधित वीएफडीएस द्वारा मुख्य रूप से सतर्कता व निगरानी और रिपोर्टिंग गतिविधियों को शामिल किया जाता है।
- फायर प्रोटेक्शन पेट्रोलिंग (रोपण वर्ष से शुरू) की 4 वर्षों की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।
- यह पेट्रोलिंग 4 वर्ष के बाद भी जारी रखी जाएगी और इसे वन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ पीएफएम संस्थानों से प्रयासों व पहल के बूते जारी रखने की उम्मीद की जाती है।

चीड़ की पत्तियों का एकत्रण और उपयोग

चीड़ बहुल वन क्षेत्रों में इसकी नुकीली पत्तियां जंगलों की आग का एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं सड़ती। इस कारण वन तल पर इन पत्तियों की चटाई नुमा परत बन जाती है। नतीजतन आग का बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। निम्नलिखित गतिविधियों को वीएफडीएस के साथ मिलकर चलाने का प्रस्ताव है:

- पत्तियों की सफाई के लिए संवेदनशील वनों की पहचान करना;
- उद्योग के साथ पहचान और संपर्क व संबंध स्थापित करना (सीमेंट संयंत्र अपने बॉयलरों में ईंधन के रूप में चीड़ की पत्तियों का उपयोग करते हैं);
- वनों के वर्गों को विभिन्न वीएफडीएस को (क्षमता के अनुसार) आवंटित करना
- पत्तियों को हटाने के महत्व के बारे में वीएफडीएस को संवेदनशील बनानाय
- पीएफएम संस्थानों को टूल/उपकरण (रैकर, बांधने के लिए जाल, पोर्टेबल बेलिंग/कंप्रेसिंग मशीन आदि) प्रदान करना।
- चीड़ की पत्तियों को एकत्र करना

3.1.7. वन क्षेत्रों के बाहर वानिकी हस्तक्षेप

यदि पीएफएम संस्थान (वीएफडीएस, बीएमसी उप–समितियां, एसएचजी/सीआईजी) तैयार हैं और वन क्षेत्रों के बाहर (निजी भूमि सहित) पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध है, तो निम्नलिखित पौधारोपण व्यवस्था/योजना भी परियोजना के अंतर्गत आ जाएगी। हस्तक्षेप क्षेत्रों का प्रबंधन और दूसरे कार्यकलाप संबंधित पीएफएम संस्थानों या हस्तक्षेप क्षेत्रों के मालिकों के पास रहेंगे। सिद्धांत रूप में, वन क्षेत्रों वाले समान लागत/कार्य मानदंड निम्न पर भी लागू होंगे।

- चारा और ईंधन प्लांटेशन
- एनटीएफपी/औषधीय पौधारोपण
- बांस प्लांटेशन
- आक्रामक (इन्वेसिव) प्रजातियों से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास

3.2. जैव विविधता संरक्षण

परियोजना में वैज्ञानिक जैव विविधता प्रबंधन गतिविधियों को विभागीय तौर पर लागू किया जाएगा, जबकि 'एसएटीओवाईएएमए' अवधारणा को एक मॉडल के रूप में अपनाकर समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण, स्थायी आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को समग्र रूप से प्राप्त करने के लिए लागू किया जाएगा।

3.2.1. वैज्ञानिक जैव विविधता प्रबंधन

वैज्ञानिक जैव विविधता प्रबंधन के तहत परियोजना में चलाई जाने वाली संभावित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका: वैज्ञानिक जैव विविधता प्रबंधन के तहत संभावित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

श्रेणी	प्रस्तावित गतिविधि	कार्यकारी निकाय
1) संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन सुधार	– पशुधन द्वारा अत्यधिक चराई को रोकने और नाजुक वनस्पतियों के पुनर्जनन/रिकवरी को प्रोत्साहित करने के लिए चक्रानुक्रम (रोटेशनल) चराई की अवधारणा को लागू करना	स्थानीय लोगों के सहयोग से वन्यजीव मंडल और वैज्ञानिक संस्थान
2) मानव–वन्यजीव संघर्ष शमन/प्रबंधन	– वन्यजीव विशेष के लिए संघर्ष प्रबंधन को लेकर विशेष इकाइयां स्थापित करना – तीव्र प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना	स्थानीय समुदायों के सहयोग से टेरिटोरियल वन मंडल और वैज्ञानिक संस्थान टेरिटोरियल वन मंडल
3) वन्यजीव आवास सुधार	– संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों जगह वन्यजीव और जैव विविधता को समृद्ध बनाने के लिए जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों सहित देशी और विविध फूलों की प्रजातियों का रोपण –वन्यजीवों के लिए पीने के पानी की जगह का प्रावधान	स्थानीय समुदायों के सहयोग से टेरिटोरियल वन मंडल व वन्यजीव मंडल और वैज्ञानिक संस्थान
4) लुप्तप्राय वन्यजीवों के लिए रिकवरी कार्यक्रम	– जुजुराना (वेस्ट्रन ट्रेगोपैन), चीड़ तीतर और मोनाल के लिए संरक्षित प्रजनन – लुप्तप्राय वन्यजीवों का इन–सीटू संरक्षण – शिक्षा सुविधाओं के पुनर्वास समेत स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करना	वन्यजीव मंडल पशुपालन विभाग और वैज्ञानिक संस्थान वन्यजीव मंडल और वैज्ञानिक संस्थान स्थानीय समुदायों के सहयोग से वन्यजीव मंडल और वैज्ञानिक संस्थान

3.2.2. समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन

समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण उप–घटक समग्र जैव विविधता संरक्षण प्राप्त करने के लिए एसएटीओवाईएएमए ढांचे को एक माध्यम व रास्ते के रूप में अपनाएगा। गतिविधियों को विकसित करते समय पांच तत्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: 1) पर्यावरण की वहन क्षमता और सामर्थ्य/लचीलेपन के भीतर संसाधन का उपयोग; 2) प्राकृतिक संसाधनों का चक्रीय उपयोग; 3)

स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों के मूल्य और महत्व की पहचान; 4) बहु–हितधारक भागीदारी और सहयोग; और 5) सामाजिक–अर्थव्यवस्था में योगदान। इस उप–घटक के तहत सांकेतिक प्रस्तावित गतिविधियों को निम्न तालिका में वर्णित किया गया है और इन गतिविधियों को संबंधित बीएमसी के लिए एक पैकेज के रूप में लागू किया जाएगा।

तालिकाः समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण उप–घटक के तहत प्रमुख गतिविधियों का विवरण

श्रेणी	प्रस्तावित गतिविधि	कार्यकारी निकाय
1) समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) की तैयारी	– सीबीएमपी की तैयारी और कार्यान्वयन	एसबीबी, वन विभाग के टेरिटोरियल/वन्यजीव मंडल और स्थानीय समुदाय
2) एसएटीओवाईएएमए आधारित जैव विविधता संरक्षण गतिविधियां	– प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग और प्रबंधन का संवर्धन – जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को पदनाम देना – इको टूरिज्म	वन विभाग के टेरिटोरियल/वन्यजीव मंडल, एसबीबी और स्थानीय समुदाय –उपरोक्त अनुसार– –उपरोक्त अनुसार–
3) इको क्लब	– माध्यमिक विद्यालयों में इको क्लबों की स्थापना – उच्च शिक्षा स्तर पर इको क्लबों का विस्तार और स्कूलों के निचले स्तरों पर गतिविधियों का विस्तार	वन विभाग के टेरिटोरियल वन मंडल, एसबीबी, शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित संस्थान वन विभाग के टेरिटोरियल वन मंडल, एसबीबी, शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित संस्थान

3.3. आजीविका सुधार सहयोग

आजीविका सुधार सहयोग घटक का उद्देश्य वन संसाधनों पर दबाव को निम्न के माध्यम से कम करना हैः– 1) प्रभावी और टिकाऊ एनटीएफपी कटाई/दोहन और विपणन हस्तक्षेप; 2) संसाधन की कमी के विरुद्ध घरेलू स्तर पर सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और आजीविका के साधनों को बढ़ावा देना और 3) स्थायी वन संसाधन प्रबंधन की दिशा में समुदाय के संसाधन आधार और निर्माण क्षमता को बढ़ाना। इस सहयोग घटक के तहत तीन उप घटक प्रस्तावित हैं, जिनमें 1) सामुदायिक विकास, 2) एनटीएफपी आधारित आजीविका और 3) गैर एनटीएफपी आधारित आजीविका शामिल हैं। प्रत्येक उप घटक प्रारंभिक चरण और कार्यान्वयन प्रक्रिया से युक्त है।

3.3.1. सामुदायिक विकास

परियोजना द्वारा सामुदायिक विकास के तहत वित्त पोषित की जाने वाली गतिविधियों की पहचान निम्नलिखित मानदंडों को अपनाकर की जाएगी।

- वह मानदंड़ जो समुदाय में आम मुद्दों को संबोधित करता है/ध्यान दिलाता है,
- वन संसाधनों पर दबाव कम करता है (विशेष रूप से ईंधन लकड़ी/चारा); और

- समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं की भलाई में सुधार करता है।

सामुदायिक विकास (सीडी) गतिविधियों के कार्यान्वयन को डीएमयू विषय विशेषज्ञ और एफटीयू समन्वयक द्वारा सहायता और सुविधा दी जाएगी। गतिविधियों का निष्पादन वीएफडीएस/बीएमसी द्वारा किया जाना है। यदि आवश्यक समझा जाए तो सीडी गतिविधियों के लिए एक कार्य समूह का गठन किया जा सकता है। सामुदायिक विकास के तहत प्रस्तावित संभावित गतिविधियां निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं।

तालिकाः सामुदायिक विकास के अंतर्गत संभावित गतिविधियां

प्रकार	गतिविधियां	कार्यान्वयन की इकाई
वैकल्पिक ऊर्जा	चीड़ की पत्तियों से/बायोमास ब्रिकेट उत्पादन ऊर्जा कुशल चूल्हों का उत्पादन और वितरण सोलर रूम/वाटर हीटिंग सिस्टम और वॉटर पंप	वीएफडीएस/बीएमसी उप–समिति
चारा/फीड	चारा वृक्ष/घास उत्पादन साइलेज बनाना (हवा रहित नियंत्रित व सुरक्षित चारा बनाना) चारा बैंक संयोजित फीड का उत्पादन	वीएफडीएस/बीएमसी उप–समिति

3.3.2. आजीविका सुधार

एनटीएफपी आधारित आजीविका सुधार

परियोजना से संबंधित गतिविधियां प्रस्तावित 6 जिलों में चिन्हित 16 समूहों (क्लस्टर) में से 11 समूहों में मुख्य रूप से केंद्रित होंगी। इसके अतिरिक्त, एसएचजी/सीआईजी अपने सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार गतिविधियों के हिस्से के रूप में छोटी आय सृजन गतिविधियों को लेने का निर्णय भी कर सकते हैं, ताकि सामुदायिक स्तर पर आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के साथ–साथ औषधीय पौधों सहित गैर काष्ठ वन उत्पादों के माध्यम से भी परियोजना के प्रतिभागियों की आय को बढ़ाया जा सके। ऐसा निम्न प्रकार से संभव है;

- वन क्षेत्रों, पीएफएम क्षेत्रों, गांव की साझा भूमि और निजी भूमि में उत्पादन वृद्धि,
- इन–सीटू और एक्स–सीटू संरक्षण के लिए सही धारकों और उत्पादकों का संगठन/संस्थागतकरण, टिकाऊ दोहन/निष्कर्षण, एकत्रीकरण, प्रमाणन और एनटीएफपी की बिक्री का विनियमन,
- विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों के सहयोग से मौजूदा मूल्य श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला का उन्नयन और व्यवसाय विकास सेवाओं (बीडीएस), उद्यम विकास और बाजार पहुंच में सुधार,
- खेती, मूल्य संवर्धन, प्रमाणीकरण आदि के लिए प्रक्रियाओं और नियमों को आसान बनाकर सक्षम नीति वातावरण तैयार करना,
- टिकाऊ वन और चरागाह प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र का सृजन, जिसमें विभिन्न वन उपजों की गैर–विनाशकारी कटाई/दोहन शामिल है,

- एनटीएफपी आधारित आजीविका के लिए समूहों को बढ़ावा देना।

एनटीएफपी समूह और उद्यम विकास

- समूह (क्लस्टर) स्तरीय हिम जड़ी–बूटी सहकारी समिति/निर्माता समूह की स्थापना
- एनटीएफपी एंटरप्राइज डेवलपमेंट
    - ✓ एनटीएफपी के संरक्षण और संसाधन विकास के लिए समुदायों के बीच जागरूकता निर्माण
    - ✓ औषधीय पौधों सहित एनटीएफपी के रोपण/ खेती के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान
    - ✓ उत्पादन क्षेत्रों व उत्पादों का प्रमाणन और सतत् फसल कटाई और कटाई के बाद का प्रबंधन
    - ✓ खरीद और विपणन
- एनटीएफपी पौधारोपण और खेती
    - ✓ वन क्षेत्रों में एनटीएफपी में सुधार
    - ✓ गैर–वन क्षेत्रों में एनटीएफपी में सुधार

जड़ी–बूटी सेल क्लस्टर सोसायटी/उत्पादक समूहों के साथ–साथ एनटीएफपी/औषधीय पौधों की खरीद और विपणन में सक्रिय सुविधा भूमिका निभाएगा। जड़ी–बूटी सेल हर वर्ष निम्नलिखित के आधार पर खरीद योजना तैयार करेगाः

- बाजार परिदृश्य का तेजी से मूल्यांकन,
- प्रसंस्करण उद्योगों और अन्य खरीददारों से मांगें,
- क्लस्टर स्तर पर औषधीय पौधों सहित एनटीएफपी के उत्पादन का प्रोजेक्शन/अनुमान
- क्लस्टर सोसायटी/निर्माता समूहों और प्रमुख खरीददारों के साथ परामर्श, और
- पूर्व में/पिछले वर्षों में उत्पादन और खरीद की समीक्षा।

गैर–एनटीएफपी आधारित आजीविका में सुधार

गैर–एनटीएफपी आधारित आजीविका गतिविधियों के लिए लागू किए जाने वाले प्रमुख हस्तक्षेपों के रूप में शामिल हैं;

- गैर–एनटीएफपी आधारित आजीविका सुधार रणनीति और योजना तैयार करना
- मौजूदा समूहों की सूची
- लाभप्रदता का आश्वासन देने के लिए मूल्य श्रृंखला/बाजार मूल्यांकन
- मौजूदा समूहों के साथ पदोन्नति/अभिसरण की व्यवहार्यता
- सीडी और एलआईपी की तैयारी – घरेलू/सामुदायिक उन्मुख आजीविका गतिविधियों की योजना
- गठन/पुनर्जीवित सीआईजी/एसएचजी
- घरेलू / समुदाय उन्मुख आजीविका गतिविधियों का कार्यान्वयन
- क्लस्टर आधारित आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना

- सीआईजी/एसएचजी और क्लस्टर आधारित संगठन के लिए क्षमता विकास

अध्याय –4
वार्ड फेसिलिटेटर्स की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां

वार्ड फेसिलिटेटर का चयन संबंधित वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों द्वारा किया जाएगा। ऐसा, चयनित वार्ड/वार्डों में इनके गठन के बाद होगा। सामुदायिक लामबंदी (मोबिलाईज़ेशन) और वीएफडीएस गठन की प्रारंभिक प्रक्रिया एसएमएस, फील्ड समन्वयक और वन विभाग के रेंज स्तर के कर्मचारियों सहित फील्ड टीम द्वारा अमल में लाई जाएगी। वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों की गठन प्रक्रिया को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों का गठन

- क्षेत्र (वार्ड/वार्डों) के चयन के बाद, ग्राम पंचायत सदस्यों को परियोजना के उद्देश्यों, दृष्टिकोण और रणनीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए फील्ड टीम की ग्राम पंचायत के साथ प्रारंभिक बातचीत/बैठक होगी। टीम, परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट वार्ड/वार्डों के चयन पर ग्राम पंचायत को भी जानकारी देगी। उपयोगी होगा, यदि चयनित वार्ड/वार्डों का वार्ड पंच भी ग्राम पंचायत की बैठक में भाग ले।
- फील्ड टीम वार्ड/वार्डों में प्रवेश करने के लिए चयनित क्षेत्र के वार्ड पंच से संपर्क करेगी। वार्ड पंच के सहयोग से फील्ड टीम परियोजना के उद्देश्य को साझा करने के लिए वार्ड प्रतिनिधियों/प्रभावशाली समुदाय के नेताओं से संपर्क करेगी। फील्ड टीम, वार्ड नेताओं और पुरुषों व महिलाओं, दोनों के साथ व्यावहारिक तालमेल स्थापित करेगी।
- फील्ड टीम द्वारा वार्ड समुदाय की विभिन्न सामाजिक–आर्थिक श्रेणियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की जाएगी। फील्ड टीम यदि स्थानीय लोगों में जागरूकता पैदा करने और परियोजना के साथ जुड़ने के उद्देश्य से उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए घर–घर जाती है, तो यह बहुत लाभदायक होगा।
- फील्ड टीम द्वारा परियोजना के बारे में ग्रामीणों को जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए प्रारंभिक सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक बैठक अलग–अलग समूहों के लिए अलग–अलग आयोजित की जा सकती है या पूरे वार्ड समुदाय के लिए हो सकती है। प्रारंभिक सामुदायिक बैठकों को श्रृंखला में तब तक दोहराया जा सकता है, जब तक कि पूरा वार्ड समुदाय परियोजना के साथ जुड़ने की सहमति नहीं देता।
- परियोजना के तहत विकसित की जाने वाली संचार सामग्री स्पष्ट रूप से समुदाय को संदेश पहुंचाने में फील्ड की टीम को सुविधा प्रदान करेगी। फील्ड टीम के पास शुरू में कम से कम वार्ड नेताओं को वितरित करने के लिए परियोजना की मुख्य विशेषताओं पर एक पत्रक (लीफलेट) होना चाहिए।
- परियोजना के साथ जुड़ने के लिए वार्ड समुदाय के इच्छा जताने के बाद, फील्ड टीम गांव के नेताओं को एक विशेष तिथि व स्थान पर पूरे वार्ड का जनरल हाउस/ग्राम सभा आयोजित

करने और वीएफडीएस बनाने के लिए सलाह देगी। प्रस्तावित वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों की संस्थागत संरचना के बारे में वार्ड प्रतिनिधियों को अग्रिम रूप से साझा किया जाएगा, ताकि उन्हें वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों के गठन की आवश्यकता को समझने में मदद मिल सके।

- वार्ड सभा में वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों के गठन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों के गठन के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों के गठन के लिए परियोजना के तहत विकसित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगा। सामान्य सदस्य, परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव/चयन करेंगे। वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों को परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा।
- वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियां स्वयं की व एफटीयू की सहायता और सीआईजी/एसएचजी को सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ वार्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों के बीच कार्यों को जोड़ने (इंटरफेसिंग) के लिए दो वार्ड फेसिलिटेटर्स (1 पुरुष और 1 महिला) की पहचान व तैनाती करेंगी।

वार्ड फेसिलिटेटर्स की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां

परियोजना के तहत वार्ड फेसिलिटेटर्स का कार्य मुख्य भूमिकाओं व ज़िम्मेदारियों के रूप में सामुदायिक लामबंदी (मोबिलाईज़ेशन) और वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों व सीआईजी/एसएचजी गठन समेत समूह गठन में सुविधा प्रदान करने और सहायता करने पर केंद्रित है। इसके साथ–साथ परियोजना के तहत वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और सीआईजी/एसएचजी के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने में सहायता करना, हितधारकों को समन्वय की सुविधा देना और आईजीए गतिविधियों के लिए वित्तीय संस्थानों व अन्य संबंधित संस्थानों के साथ संपर्क व संबंध कायम करने में सुविधा प्रदान करना भी उनकी मुख्य भूमिकाओं व ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इसके अलावा वार्ड फेसिलिटेटर्स वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों के सदस्यों और सीआईजी/एसएचजी को अपनी बैठकें आयोजित करने, रिकार्ड के रख–रखाव, परियोजना हस्तक्षेपों के नियोजन व कार्यान्वयन और रिकार्ड संभालने को लेकर भी मार्गदर्शन करते हैं। विशेष रूप से वार्ड फेसिलिटेटर्स की ज़िम्मेदारियां व भूमिकाएं ये हैं:–

सामुदायिक गतिशीलता (मोबिलाईज़ेशन)

- वार्ड फेसिलिटेटर औपचारिक प्रशिक्षण, साथ मिलकर चलने व सहयोग और फील्ड नियमावली/दिशा–निर्देशों के माध्यम से परियोजना के लक्ष्य व उद्देश्यों, दृष्टिकोण व रणनीतियों, कार्यान्वयन स्तरीय हितधारकों, संस्थागत संरचना व अन्य के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करेगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर एसएमएस/एफटीयू समन्वयक द्वारा परियोजना के लिए विकसित मुख्य विशेषताओं को ग्राम समुदाय की विभिन्न श्रेणियों के साथ साझा करेगा। इसके साथ–साथ वह परियोजना के तहत विकसित की जाने वाली संचार सामग्री का उपयोग ग्रामीण स्तर पर सूचना संचार के लिए करेगा।

- वार्ड फेसिलिटेटर अलग–अलग परिवारों और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के साथ संपर्क करेगा और उनसे अक्सर मिलता रहेगा, ताकि उन्हें समय–समय पर प्रोजेक्ट प्लान और हस्तक्षेपों के विभिन्न अपडेट बराबर मिलते रहें।
- वह वार्ड स्तर की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्र करेगा और जब भी आवश्यकता होगी, इसे एफटीयू टीम के साथ साझा करेगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर वार्ड/वार्डों के स्तर पर किसी भी कार्यक्रम, जैसे कि बैठक, अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम, एक्सपोज़र विजिट और अन्य के आयोजन में एफटीयू टीम की सहायता करेगा।
- वह वार्ड लीडर्स और कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेगा। वह परियोजना हस्तक्षेपों को लेकर अपनी स्पष्ट समझ, कार्य की प्रतिबद्धता, निर्णय लेने में पारदर्शिता, निष्ठा, ईमानदारी इत्यादि के माध्यम से अपने लिए एक छवि बनाएगा।

माइक्रो प्लान तैयार करना

- वार्ड फेसिलिटेटर, डीएमयू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों की बैठक आयोजित करने में और वार्ड/गांव में परियोजना कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न गतिविधियां चलाने और वार्ड में माइक्रो प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों की सहमति लेने के लिए एफटीयू टीम की सहायता करेगा।
- वह गांव के नेताओं और मौजूदा सीबीओ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके उन्हें माइक्रो प्लान तैयार करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया व इसके उद्देश्यों की जानकारी देगा। साथ ही सभी घरों में जाकर लोगों को इस प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर माइक्रो प्लान प्रक्रिया में अधिक समय तक शामिल होने की संभावना वाले प्रमुख सूचकों (इनफॉर्मेंट) की पहचान में वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों के साथ मिलकर काम करेगा।
- माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले वार्ड समुदाय के साथ वार्ड स्तरीय बैठक होगी। यह इसलिए की जाएगी, ताकि वार्ड समुदाय के साथ इस सारी कसरत का उद्देश्य साझा किया जा सके और समुदाय से सहयोग व सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया जा सके। इसके साथ–साथ प्रक्रिया शुरू करने का दिन व समय भी तय किया जा सके। वार्ड फेसिलिटेटर इस बैठक के आयोजन में फील्ड टीम की सहायता करेगा।
- महिला वार्ड फेसिलिटेटर माइक्रो प्लान प्रक्रिया में अधिक से अधिक महिलाओं/लड़कियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- वार्ड फेसिलिटेटर समस्या के विश्लेषण, समाधान की पहचान, गतिविधियों का निर्धारण और एफईएमपी और सीडी एंड एलआईपी विकसित करने के लिए सूचना संग्रह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्ड स्तर की बैठक के आयोजन में एफटीयू टीम की सहायता करेगा।

समूह गठन और प्रबंधन

- वार्ड फेसिलिटेटर माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए चिन्हित व चयनित किसी विशेष गतिविधि से लाभान्वित या विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले परिवारों को सूचीबद्ध करने में वीएफडीएस/बीएमसी उप–समिति और एफटीयू टीम की सहायता करेगा।
- वह एक औपचारिक समूह के गठन को लेकर व्यक्तिगत परिवारों के साथ बातचीत करेगा, क्योंकि ऐसे सभी परिवार गतिविधि विशेष के बारे में साझा रुचि रखते हैं।
- वार्ड फेसिलिटेटर वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और एफटीयू टीम को गतिविधि विशेष में साझा रुचि रखने वाले सभी परिवारों के साथ औपचारिक बैठकें आयोजित करने में सहायता करेगा। औपचारिक बैठकों का उपयोग समूह, यानी समान हित समूह (सीआईजी) के लिए कार्य नियम बनाने को किया जाएगा। निम्नलिखित निर्णय लेने के लिए भी इन औपचारिक बैठकों का उपयोग किया जाएगा;
  - ✓ समूह का नाम, यदि आवश्यक हो
  - ✓ पदाधिकारियों का नामांकन/चुनाव
  - ✓ कामकाजी नियमों का दस्तावेजीकरण
  - ✓ समूह के सदस्यों की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां
  - ✓ योजना, कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली
  - ✓ समूह की क्षमता निर्माण आवश्यकताएं
  - ✓ रिकॉर्ड का रख–रखाव
  - ✓ लेखा प्रणालियां/व्यवस्थाएं
  - ✓ वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और एफटीयू के लिए रिपोर्टिंग तंत्र
  - ✓ अन्य, जैसा कि किसी सीआईजी विशेष द्वारा आवश्यक हो
- वार्ड फेसिलिटेटर सीआईजी की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों का अनुसरण करने में एफटीयू टीम और वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों की सहायता करेगा।

बैठकें आयोजित करना

- वार्ड फेसिलिटेटर बैठक आयोजित करने के औपचारिक तरीके पर वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और सीआईजी/एसएचजी को इस प्रकार सुविधा प्रदान करेगाः–
  - ✓ बैठक का स्थान
  - ✓ बैठक का समय
  - ✓ बैठक का महत्व
  - ✓ बैठक के नियम
  - ✓ बैठक के लिए एजेंडा
  - ✓ बैठक में उपस्थिति
  - ✓ सभी को बोलने का अवसर
  - ✓ बैठक में प्रतिनिधियों की भागीदारी
  - ✓ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता

- वार्ड फेसिलिटेटर शुरू में बैठक के मिनट/कार्यवाही लिखने की सुविधा प्रदान करेगा
- इसके साथ–साथ टकराव की स्थिति में समाधान में भी सहायता करेगा

रिकॉर्ड और बहीखाता रख–रखाव

- वार्ड फेसिलिटेटर रिकॉर्ड को बनाए रखने में वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और सीआईजी/एसएचजी को सुविधा प्रदान करेगा
- वीएफडीएस और सीआईजी/एसएचजी के लिए रिकॉर्ड और पुस्तकों की अंतिरम (टेंटेटिव) सूची निम्न तालिका में उल्लिखित है।

वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियां	सीआईजी	एसएचजी
• एफईएमपी और सीडी एंड एलआईपी सहित वार्ड माइक्रो प्लान की कॉपी • वार्षिक कार्यान्वयन योजना • सदस्यता रजिस्टर • संपत्ति रजिस्टर • बैठक और प्रस्ताव रजिस्टर • मस्टर रजिस्टर • रसीद और भुगतान रजिस्टर • सोशल ऑडिट • व्यक्तिगत परिवारों को लाभ • फिक्स्ड एसेट रजिस्टर • स्टॉक और स्टोर रजिस्टर • जनरल बुक • सामान्य बहीखाता • मूल (ऑरिजनल) वाउचर का रिकॉर्ड • ड्राफ्ट/चेक का रजिस्टर – दिए गए और लिए गए • रोकड़ बही • वीएफडीएस और डीएमयू के बीच समझौते का अनुच्छेद (आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट) • वीएफडीएस पंजीकरण और समझौता ज्ञापन • वीएफडीएस सदस्यों और कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची • सीआईजी और एसएचजी की सूची	• कार्य नियम • वार्षिक कार्यान्वयन योजना • बैठक और प्रस्ताव रजिस्टर	• वार्षिक कार्यान्वयन योजना • सदस्यता रजिस्टर • बैठक और प्रस्ताव रजिस्टर • रसीद और भुगतान रजिस्टर • ड्राफ्ट/चेक का रजिस्टर –दिए गए और लिए गए • रोकड़ बही • बैंक पास बुक

वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों, सीआईजी/एसएचजी के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन

- वार्ड फेसिलिटेटर एक विस्तृत क्षमता निर्माण योजना विकसित करने के लिए वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और सीआईजी/एसएचजी की प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन करने में एफटीयू टीम की सहायता करेगा, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करने के लिए सुसज्जित किया जा सके।
- वह वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और सीआईजी/एसएचजी के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सत्र आयोजित करने में एफटीयू टीम की सहायता करेगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर नियमित रूप से विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए हैंडहोल्डिंग, ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और सीआईजी/एसएचजी को सहायता प्रदान करेगा
- वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और सीआईजी/एसएचजी के प्रशिक्षण के लिए कुछ विषयों को अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं;

समूह	**प्रबंधन कौशल**	**तकनीकी कौशल**
वीएफडीएस	• नेतृत्व और समूह प्रबंधन, भागीदारी निर्णय लेना, संघर्ष समाधान, दूरदर्शिता, आदि। • बुक कीपिंग • लेखा और वित्तीय प्रबंधन • समानता और लैंगिक मुद्दे • माइक्रो प्लान की तैयारी और कार्यान्वयन • भागीदारी योजना और कार्यान्वयन • सहभागी निगरानी और मूल्यांकन • कानूनी और नीतिगत मुद्दे • सोशल ऑडिट	• वन संसाधन प्रबंधन • मृदा और जल संरक्षण के उपाय • एनटीएफपी कटाई, प्रसंस्करण और भंडारण • सिल्वी–चरागाह स्थापना और प्रबंधन • फायर लाइन निर्माण • सर्वेक्षण और मानचित्रण तकनीक • नर्सरी स्थापना और प्रबंधन • वृक्षारोपण स्थापना और प्रबंधन
सीआईजी	• समूह गठन • समूह कार्य • भागीदारी योजना और कार्यान्वयन • सहभागी निगरानी और मूल्यांकन • वित्तीय प्रबंधन • बुक कीपिंग • मोल भाव • विरोधाभास प्रबंधन • संचार	• समान हित समूह के लिए गतिविधि से संबंधित
एसएचजी	• समूह गठन • समूह कार्य • वित्तीय प्रबंधन • बुक कीपिंग	• एसएचजी द्वारा पहचाने गए कौशल विकास प्रशिक्षण • उद्यम प्रबंधन • बाज़ार तक पहुंच

	• मोल भाव • विरोधाभास प्रबंधन • संचार	

अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण (कन्वर्जेंस)

- वार्ड फेसिलिटेटर, एफटीयू के मार्गदर्शन में अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण सृजित करने में अर्थात परियोजना के सतत् वन प्रबंधन, आजीविका सहयोग हस्तक्षेपों और जैव विविधता संरक्षण घटकों को लेकर वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों को सुविधा प्रदान करेगा।
- वह ग्राम पंचायत स्तर पर प्रासंगिक विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान व अध्ययन करने में वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों को सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, एफटीयू के मार्गदर्शन में इनके अभिसरण का पता भी लगाएगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया के दौरान उभरी अभिसरण योजना को ग्राम पंचायत के साथ साझा करने में वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों को सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ–साथ संबंद्ध व सहयोग की संभावनाएं भी तलाशेगा।

हितधारकों के साथ समन्वय

- वार्ड फेसिलिटेटर, एफटीयू, वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों, सीआईजी, एसएचजी, ग्राम पंचायत, वार्ड पंच और अन्य सहित सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
- वह प्रभावी संचार स्थापित करने के लिए वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और सीआईजी/एसएचजी के बीच कड़ी के रूप में काम करेगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर अभिसरण योजना की संभावनाओं का पता लगाने और फिर उसके कार्यान्वयन के लिए वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में काम करेगा।
- वह सतत् वन प्रबंधन (एसएफएम) गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एफटीयू/फ्रंटलाइन स्टाफ और वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों के बीच कड़ी के रूप में काम करेगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर प्रबंधन पहलुओं, जैसे प्रशिक्षण और एक्सपोजर विज़िट, रिकॉर्ड कीपिंग, सामुदायिक संस्थानों के प्रभावी कामकाज, आदि के प्रभावी निष्पादन के लिए वीएफडीएस/बीएमसी उप–समितियों या सीआईजी/एसएचजी और एफटीयू समन्वयक/एसएमएस के बीच भी कड़ी के रूप में काम करेगा।
- वह संभव और व्यवहार्य गतिविधियों की पहचान, व्यवसाय योजना की तैयारी, क्षमता निर्माण, विपणन रणनीतियों का विकास, कार्यान्वयन की निगरानी, आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए आजीविका गतिविधियों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए एफटीयू समन्वयक और एसएचजी के बीच कड़ी के रूप में काम करेगा।

वित्तीय या अन्य संबंधित संस्थान के साथ संबंध स्थापित करना

- वार्ड फेसिलिटेटर उन स्थानीय बैंक शाखाओं से संपर्क करेगा, जहां एसएचजी ने अपने खाते खोले हैं।
- वह एसएचजी की गतिविधियों के बारे में और परियोजना के तहत रिवाल्विंग फंड मैनेजमेंट अवधारणा की जानकारी बैंक को देगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर ऋण देने के उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार एसएचजी को दर्जा (रेटिंग) देने में बैंक की मदद करेगा।
- वह बैंक के साथ एसएचजी के लिंकेज की सुविधा प्रदान करेगा।
- वार्ड फेसिलिटेटर स्थानीय क्षेत्र में समान प्रकृति की अन्य मौजूदा आजीविका गतिविधियों की पहचान करेगा और सामूहिक विपणन के लिए संभावनाओं का पता लगाएगा।
- वह क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग, विपणन, आदि के रूप में अभिसरण के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ ग्राम पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के संबंध स्थापित करने की संभावनाएं तलाशेगा।

निगरानी और प्रभाव आकलन

- वार्ड फेसिलिटेटर एफटीयू टीम द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित प्रारूप में जानकारी एकत्र करेगा और इसे विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए आवधिक (पीरियोडिक) आधार पर उपलब्ध करवाएगा।
- एफटीयू टीम को जब भी आवश्यक लगेगा, वार्ड फेसिलिटेटर मामलों का अध्ययन (केस स्टडी) एकत्र करेगा।
- वह विभिन्न परियोजना हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का आकलन करने में एफटीयू टीम की सहायता करेगा।

ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स, जैव विविधता प्रबंधन मंडलों के तहत पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) में तैनात किए जाएंगे। बीएमसी के सदस्य–सचिव के रूप में, इन मोबिलाइज़र्स से परियोजना हस्तक्षेपों के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के साथ–साथ सामुदायिक कार्रवाई, बैठकों, घटनाओं व प्रशिक्षण और परियोजना में अन्य संबद्ध गतिविधियों की निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है। ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स के विशिष्ट कार्यों में ये शामिल हैं;

- ग्राम पंचायत में परियोजना के बारे में समुदायों की गहरी समझ विकसित करना और प्रत्येक परियोजना गतिविधि में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- बीएमसी और बीएमसी उप–समितियों, समूह गठन, बैठक, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और एक्सपोज़र यात्राओं में सीआईजी/एसएचजी की सहायता करना।
- परियोजना कार्यान्वयन को प्रबंधित करने और परियोजना गतिविधियों के समन्वय के लिए परियोजना स्थलों का नियमित और विस्तारित दौरा करना।
- परियोजना के तहत की जाने वाली बैठकों या चर्चाओं का मासिक आधार पर रिकॉर्ड रखना।
- परियोजना प्रबंधन द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

परियोजना में ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स और वार्ड फेसिलिटेटर्स के लिए नियोजित प्रमुख कार्य समान हैं। ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स की विशिष्ट भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां बीएमसी उप–समितियों के तहत तैनात वार्ड फेसिलिटेटर्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समन्वय पर केंद्रित होंगी। ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स क्षमता निर्माण व हैंडहोल्डिंग, रिकॉर्ड व बहीखाता रख–रखाव, गतिविधि नियोजन व कार्यान्वयन और निगरानी व रिपोर्टिंग के संदर्भ में सामुदायिक संस्थानों (बीएमसी उप–समिति, सीआईजी और एसएचजी) की सुविधा के संबंध में प्रभावी ढंग से कार्य करने और ग्राम पंचायत स्तर पर अभिसरण सृजन कार्य में मदद करने के लिए वार्ड फेसिलिटेटर्स को सहायता प्रदान करेंगे।

ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स वार्ड फेसिलिटेटर्स के काम की पर्यवेक्षक के रूप में निगरानी करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियाएं और आउटपुट, योजना के अनुसार प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा, ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र्स जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में परियोजना के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में बीएमसी को सुविधा प्रदान करेंगे।

वार्ड फेसिलिटेटर्स प्रशिक्षण और अभिविन्यास की एक श्रृंखला से गुजरेंगे, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करने में मदद मिल सके। एसएमएस/एफटीयू समन्वयक मुख्य रूप से उनके लिए प्रशिक्षण अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। इसके अलावा, उन्हें ऑन–द–जॉब ट्रेनिंग, हैंडहोल्डिंग और एक्सपोज़र विज़िट के माध्यम से क्षमता निर्माण इनपुट भी प्रदान किए जाएंगे। वार्ड फेसिलिटेटर्स के लिए प्रशिक्षण योजना प्रशिक्षण आवश्यकताएं आकलन (टीएनए) अभ्यास के आधार पर तैयार की जाएगी। वार्ड फेसिलिटेटर्स के प्रशिक्षण और अभिविन्यास के लिए कवर किए जाने वाले विषयों की एक अस्थायी सूची नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई है।

क्र. सं.	विषयगत क्षेत्र	क्षमता निर्माण की विधि	दिन	स्तर	फेसिलिटेटर्स
1.	परियोजना लक्ष्य, उद्देश्यों व अपेक्षित परिणामों, दृष्टिकोण व रणनीतियों, हितधारकों, आदि पर कार्यशाला	कार्यशाला	1	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक और एफएमयू अधिकारी
2.	वीएफडीएस/बीएमसी उप–समिति का गठन और कार्य	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस और एफटीयू समन्वयक
3.	माइक्रो प्लान तैयार करना: एफईएमपी, सीबीएमपी और सीडी एंड एलआईपी, वार्षिक योजना	प्रशिक्षण	3	डीएमयू	एसएमएस और एफटीयू समन्वयक
4.	समान रुचि समूह (सीआईजी) का गठन और प्रबंधन	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस और एफटीयू समन्वयक
5.	रिकार्ड का रख–रखाव, बहीखाते, रिपोर्ट, प्रस्ताव, नियमावली/दिशा–निर्देश आदि।	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस और एफटीयू समन्वयक
6.	सतत् वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक और एफएमयू अधिकारी
7.	सतत् जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक और एफएमयू अधिकारी
8.	जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में प्लानिंग, बजटिंग और निष्पादन	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस और एफटीयू समन्वयक
9.	रिवाल्विंग फंड्स मैनेजमेंट	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस और एफटीयू समन्वयक
10.	एसएचजी गठन और सुदृढ़ीकरण	प्रशिक्षण	3	डीएमयू	एसएमएस और एफटीयू समन्वयक
11.	संभावित आजीविका गतिविधियों	प्रशिक्षण	3	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू

क्र. सं.	विषयगत क्षेत्र	क्षमता निर्माण की विधि	दिन	स्तर	फेसिलिटेटर्स
	की पहचान, व्यवसाय योजना तैयार करना				समन्वयक, बाहरी संसाधन
12.	बेहतर आजीविका के लिए मूल्यवर्द्धन	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक, बाहरी संसाधन
13.	क्लस्टर आधारित उद्यम विकास	प्रशिक्षण	3	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक, बाहरी संसाधन
14.	विपणन रणनीतियां	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक, बाहरी संसाधन
15.	वित्तीय लिंकेज	प्रशिक्षण	2	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक
16.	प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क के भीतर अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण	कार्यशाला	1	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक और एफएमयू अधिकारी
17.	निगरानी, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, सोशल ऑडिट, आदि	प्रशिक्षण	1	डीएमयू	एसएमएस, एफटीयू समन्वयक और एफएमयू अधिकारी
18.	बेस्ट प्रेक्टिस, इनोवेशन, कन्वर्जेंस साझा करना	एक्सपोज़र	3–5	डीएमयू	एसएमएस, डीएमयू प्रमुख
19.	क्लस्टर विकास, नेटवर्किंग एंड फेडरेशन	एक्सपोज़र	3–5	डीएमयू	एसएमएस, डीएमयू प्रमुख
20.	स्थिरता और वापसी (विदड्रॉल) की रणनीति	एक्सपोज़र	3–5	डीएमयू	एसएमएस, डीएमयू प्रमुख
21.	अन्य जाईका परियोजनाओं का दौरा	एक्सपोज़र	3–5	डीएमयू	एसएमएस, डीएमयू प्रमुख